आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 89 / 2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक, शाखा फुलेरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री रामकरण रैगर पुत्र श्री सुखदेव रैगर,
2. श्री गणेश लाल रैगर पुत्र श्री सुखदेव रैगर,
3. श्री रामलाल पुत्र श्री सुखदेव रैगर,
4. कौशल्या देवी पत्नी श्री रामकरण रैगर,
5. सीता देवी पत्नी श्री गणेश लाल रैगर,

पता :— समलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002.

उपस्थित :— 1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

2. श्री भंवरलाल जलुथूरिया, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आदेश दिनांकः 11.04.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.04.2006 एवं 30.03.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री रामकरण रैगर** के स्वामित्व की सम्पति भूमि एवं भवन पट्टा संख्या 1, समलपुरा, ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 108.88 वर्गगज एवं **श्री गणेश लाल रैगर** के स्वामित्व की सम्पति भूमि एवं भवन पट्टा संख्या 2, समलपुरा ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 108.88 वर्गगज एवं **श्री रामलाल रैगर** के स्वामित्व की सम्पति भूमि एवं भवन पट्टा संख्या 3, समलपुरा, ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 109.66 वर्गगज को बन्धक रख कर को बन्धक कर कुल राशि 11,00,000/—रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री भरतलाल जलुथुरिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। जवाब बहस हेतु अवसर चाहा है।

3. उभय पक्ष को को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निरतारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में जवाब बहस हेतु समय दिया जा चुका है, इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 11,00,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 11,10,115/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.01.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी **श्री रामकरण रैगर** के स्वामित्व की सम्पति भूमि एवं भवन पट्टा संख्या 1, समलपुरा, ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 108.88 वर्गगज एवं **श्री गणेश लाल रैगर** के स्वामित्व की सम्पति भूमि एवं भवन पट्टा संख्या 2, समलपुरा ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 108.88 वर्गगज एवं **श्री रामलाल रैगर** के स्वामित्व की सम्पति भूमि एवं भवन पट्टा संख्या 3, समलपुरा, ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 109.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक **11.04.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र विशाल)
11/04/22
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर